



F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1149 का नवीकरण/ Renewal of Type Approval No.1149

विषय/Sub: एडाप्टर केबल असेंब्ली
Adapter Cable Assembly

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स सदरन इलेक्ट्रॉनिक्स (बेंगलूरु) प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु - 560 058 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "एडाप्टर केबल असेंब्ली" टाइप सीएच-आईसी-11, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1149, दिनांक 14 सितंबर 2005 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1149 जारी किया गया था और तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1149-1आर, दिनांक 09 अगस्त 2010 द्वारा नवीकरण किया गया था जो कि 30 जून 2015 तक वैध था।

This is to state that the "Adapter Cable Assembly" Type CH-IC-11 designed, developed and manufactured by M/s. Southern Electronics (Bangalore) Pvt. Ltd., Bengaluru - 560 058 has been issued with TA No. 1149 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1149, dated: 14th Sept 2005 and was subsequently renewed vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1149-1R, dated: 09th Aug 2010 which was valid upto 30th June 2015.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्टूबर 2015 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा यह 31 दिसम्बर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए, उत्पादित मात्रा एवं अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (हेलिकॉप्टर्स), सेमिलैक, मारत्तहल्ली पी.ओ, बेंगलूरु - 560 037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र की अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st October 2015 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2020 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopters), CEMILAC, Marathahalli P.O., Bengaluru-560 037, three months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any and its cause. All other terms & conditions stipulated in the type approval letter remain unaltered.

सं./No.:सेमिलैक/CEMILAC/5070/टीए/TA-1149/2R

दिनांक/Date : 08th October 2015

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856


डा.वी.के.वर्मा

(डॉ. वी.के.वर्मा/ Dr. V.K.VARMA)

स्थानामन् मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Offg.Chief Executive (Airworthiness)